कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 01.09.2026

□*कोतवाली चन्दौली पुलिस टीम द्वारा थाना सैयदराजा पर पंजीकृत लूट के मुकदमें में वाँछित व 50,000/-रुपये के इनामियां अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।*

□*गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ हत्या के प्रयास व धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। कुल 09 अभियोग*

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 27.11.2024 वादी इम्तेयाज खान पुत्र मुस्ताक खान निवासी, ग्राम डेहरी, पोस्ट डेहरी थाना डेहरी जिला रोहतास द्वारा थाना सैयदराजा पर तहरीर दिया कि ट्रक जिसका नं. BR01GF8742 है। पर 25 टन कोयला लादकर ट्रक का ड्राइवर इम्तेयाज खान पुत्र मेहदी खान निवासी दुधमी डेहरी थाना तिलौथु जिला रोहतास बिहार व खलासी राजु सिंह पुत्र शिवपूजन सिंह निवासी ग्राम हसड़ी थाना नौहाटा जिला रोहतास द्वारा उक्त कोयले से भरा ट्रक डेहरी से सीतापुर के लिये लेकर निकले थे दिनांक 28.11.2024 के समय करीब 2.30 बजे रात ड्राइवर का भाई सफीक खान ने फोन कर बताया कि उक्त ट्रक बगही कुम्भापुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली से लूट ली गई है। बहुत खोजने के बाद जब ट्रक नही मिला तो वादी को शक हुआ कि उपरोक्त ट्रक ड्राइवर इम्तेयाज व चालक राजु सिंह द्वारा ही लूट लिया गया है। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सैयदराजा पर मु0अ0सं0 216/2024 धारा 310(2),317(3)/317(5)/61(2) बी0एन0एस0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा थाना सैयदराजा पर पंजीकृत अभियोग संख्या 216/2024 धारा 310(2),317(3)/317(5)/61(2) बी0एन0एस0 में 50000/- रुपये का वांछित इनामियां अभियुक्त दिलशाद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम मरखामऊ नई बाजार थाना मऊआईमा

जिला प्रयागराज उ.प्र. उम्र करीब 42 वर्ष को दिनांक 31.08.2026 को पंचफेड़वा अलीनगर से समय करीब 18.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दिलशाद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी ग्राम मरखामऊ नई बाजार थाना मऊआईमा जिला प्रयागराज उ.प्र.

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 216/2024 धारा 310(2),317(3)/317(5)/61(2) बी.एन.एस थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 644/2021 धारा 3(2)(v), 3(2)(va) एससीएसटी एक्ट, 323/394/504/506 भा.द.वि. थाना मऊआईमा जिला गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज

3.मु0अ0सं0 128/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 307/411/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना मऊआईमा जिला गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज

4.मु0अ0सं0 65/2024 धारा 379/411 भा.द.वि. थाना सोरावं जिला गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज

5.मु0अ0सं0 30/2021 धारा 365/395/412/419/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना थरवई जिला गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज

6.मु0अ0सं0 28/2022 धारा 307 भा.द.वि. थाना मडियाहू जिला जौनपुर

7.मु0अ0सं0 32/2022 धारा 41/411/414 भा.द.वि. थाना मडियाहू जिला जौनपुर

8.मु0अ0सं0 190/22 धारा 3(1) उ.प्र. गैगेंस्टर एक्ट थाना मडियाहू जिला जौनपुर

9.मु0अ0सं0 404/2023 धारा 342/395/397/412 भा.द.वि. थाना बड़ागांव जिला

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

2.थानाध्यक्ष सैयदराजा अशोक कुमार मिश्र थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3.उप निरीक्षक मोहम्मद असलम थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

4.उ0नि0 विजय बहादुर सिंह थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

5.हे0का0 सतीश चन्द्र यादव थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

6.का0 संजय पटेल थाना चन्दौली जनपद चन्दौली

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 01.09.2026

□थाना इलिया पुलिस टीम व सर्विलांस सेल टीम की संयुक्त कार्यवाही में गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमें में वाँछित व 25,000/- रुपये के इनामियां गोतस्कर को किया गया गिरफ्तार।

□गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित POCSO एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग।

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 20.08.2025 को थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा बनरसिया नहर माइनर के पास चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 वाहनों (पिकअप संख्या UP67BT2621 व UP71BT3670) में क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाए जा रहे कुल 12 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद किया गया था। पुलिस बल को देखकर वाहन चालक वाहनों को छोड़कर भागने में सफल रहे थे। ई-चालान ऐप से वाहन स्वामियों के नाम क्रमश: 1. प्रमोद कुमार पुत्र कन्हैया लाल (निवासी तेजोपुर, चंदौली) एवं 2. रोशनी राइन (निवासी मुगलरोड काजिआना बिंदकी, फतेहपुर) प्रकाश में आए। उक्त घटना के संबंध में थाना इलिया पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन व मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष इलिया चन्दन कुमार राय व प्रभारी सर्विलांस टीम उ0नि0 आशीष मिश्रा के नेतृत्व में थाना इलिया पुलिस टीम व सर्विलांस सेल टीम की संयुक्त कार्यवाही में थाना इलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये वांछित व 25,000/- रुपये के इनामियां अभियुक्त समसाद राइन पुत्र रज्जब अली निवासी ग्रामसभा गम्हरी, मजरी इलाही डेरा, थाना गाजीपुर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 32 वर्ष को जनपद बांदा के विसन्डा थाना क्षेत्र के कोर्रई गांव के समीप नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

समसाद राइन पुत्र रज्जब अली निवासी ग्रामसभा गम्हरी, मजरी इलाही डेरा, थाना गाजीपुर, जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 32 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 61/2025 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

2.मु0अ0सं0 330/2013 धारा 363/376/467/468/470/471 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.चन्दन कुमार राय, थानाध्यक्ष थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 गिरीश वल्लभ शुक्ल, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 मनीष कुमार सिंह, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

4.का0 अभिषेक श्रीवास्तव, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

5.का0 अतुल सिंह राहुल, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

6.हे0का0 नारायण दत्त यादव, थाना इलिया, जनपद चन्दौली।

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 आशीष मिश्रा प्रभारी सर्विलांस सेल चन्दौली।

का0 गणेश तिवारी सर्विलांस सेल चन्दौली।